न्यायालय अति० जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	मु० नं० 06/2020 प्रा०पत्र स्थानांतरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान- मूलचन्द बनाम गोविन्दी वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18-5-22	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार रामगढ़ पचवारा श्रीमती सुधा रानी मीना का स्थानांतरण हो चुका है। इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है, प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी के कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार रामगढ़ पचवारा श्रीमती सुधा रानी मीना का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाया जाना उचित नहीं है। तहसीलदार रामगढ़ पचवारा के यहाँ विचाराधीन रिमाण्ड पत्रावली उनवानी गोविन्दी बनाम ग्राम पंचायत आदि को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थी मूलचन्द पुत्र गोविन्दा दत्तक पुत्र लालमा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी मानपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ पचवारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार में जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार को जावे। निर्णय आज दिनांक 18-5-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर. के. मीना) अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official